प्रेस नोट संख्या 22

दिनांक- 14.08.2025

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 6000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन मे एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अपराधियो के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मानीटिरिग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय सुल्तानपुर मे मु0अ0सं0 254/19 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना मु0खाना जनपद अमेठी के अभियुक्तगण 1.आत्माराम यादव पुत्र जगन्नाथ यादव, 2.मंजू यादव पत्नी आत्माराम यादव निवासीगण रामपुर मजरे लोकराव थाना मु0खाना जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एएसजे-12 सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्तगण को आज दिनांक 14.08.2025 को धारा 452 भादवि में 03 वर्ष कठोर कारावास व 5000 रू0 अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रू0 अर्थदण्ड, धारा 506 में 01 कारावास एवं धारा 504 में 06 माह कारावास से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 14.06.2019 को अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ घर में घुसकर मारपीट करना, जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करना एवं छेड़खानी करने की सूचना पर मु0अ0सं0 254/19 धारा 354ख/452/323/504/506 भादवि, 7/8 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मु0खाना जनपद अमेठी पर पंजीकृत होकर विवेचक क्षेत्राधिकारी मु0खाना श्री रामरतन द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र सं0 324 दिनांक 15.10.2019 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।